राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

निष्पादक समिति बैठक दिनांक 10.09.2009

कार्यवाही विवरण

दिनांक 10.09.2009 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादन समिति की प्रथम बैठक माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया –

1) प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान
2) शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान
3) आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर, राजस्थान
4) आयुक्त एवं शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राज0
5) शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर, राजस्थान
6) निदेशक, महिला सशक्तिकरण, जयपुर, राजस्थान
7) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान
8) निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर, राजस्थान
9) अतिरिक्त निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, जयपुर, राजस्थान
10) निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर, राजस्थान
11) प्रतिनिधि अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान
12) सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर, राजस्थान
13) सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर, राजस्थान
14) श्री प्रमोद अग्रवाल, सिस्टम एनेलेसिस्ट, आई.टी. विभाग, राजस्थान
15) श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, रा0उ0मा0 विद्यालय, मुहाना, जयपुर, राजस्थान
16) श्री रमेश चन्द शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी, सतत् शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जयपुर, राज0
17) श्री बी.के. गुप्ता, सहायक निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर, राज0
18) श्री कैलाश गुप्ता, सहायक निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर, राज0

बैठक में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा किया जाना प्रस्तावित किया गया था –

1. माध्यमिक शिक्षा अभियान राजस्थान की वार्षिक कार्य योजना 2009–10 व इन्डीकेटिव प्रोस्पेक्टिव प्लान, वर्ष 2009 से 2020 तक अनुमोदन।
2. राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा अभियान को अधिकृत करना। (पूरक बिन्दु)
3. माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 46 पद एवं जिला स्तर पर 19 पदों की स्वीकृति। (पूरक बिन्दु)

प्रस्ताव संख्या 1

बैठक में माध्यमिक शिक्षा अभियान राजस्थान की वार्षिक कार्य योजना 2009–10 व इन्डीकेटिव प्रोस्पेक्टिव प्लान, वर्ष 2009 से 2020 तक अनुमोदन हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा वर्ष 2009–10 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में योजना का कुल आकार 989.83 करोड़ रूपये रखा गया। जिसमें 25 प्रतिशत राज्यांश है।

योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार बताये गये –

1. विद्यालय क्रमोन्नयन

- वर्ष 2008–09 में क्रमोन्नत 3118 माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक में 2 कक्षा–कक्ष
- प्रति विद्यालय लागत 11.25 लाख रूपये
- कुल लागत 344.81 करोड़ रूपये

2. शिक्षकों का वेतन

- 3118 विद्यालयों में शिक्षकों का 6 माह के वेतन
- 1925 विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक, 3 वरिष्ठ अध्यापक, एक शारीरिक शिक्षक, एक कनिष्ठ लिपिक, तीन सहायक कर्मचारी संविदा पर का 4 माह का वेतन

3. निर्माण कार्य

- वर्ष 2008–09 में संचालित माध्यमिक विद्यालय संख्या 3,065 प्रत्येक विद्यालय में 2 कमरे लागत 11.25 लाख प्रति विद्यालय
- वर्ष 2008–09 से पूर्व संचालित माध्यमिक विद्यालयों में प्रति जिला 2 विद्यालयों में प्रयोगशाला
- जिले के 4 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कक्ष निर्माण
- वर्ष 2008–09 से पूर्व संचालित विद्यालयों के 50 प्रतिशत विद्यालयों में मेजर रिपेयर

4. विद्यालय सुविधा राशि

- वार्षिक अनुदान 50,000 हजार रूपये समस्त राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय
- प्रयोगशाला उपकरण एवं मरम्मत के लिए 25,000 रूपये
- पुस्तकालय हेतु 10,000 रूपये
- पानी बिजली के लिए 15,000 रूपये

5. शिक्षक प्रशिक्षण :

- 11241 विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं एक व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रावधान।

6. बजट प्रावधान

1. कुल बजट 989.83 करोड़ रूपये
2. अन्य फुटकर व्यय 10984.57 लाख रूपये
3. शिक्षकों का वेतन 449.74 करोड़ रूपये
4. प्रवन्धन व्यय जिला एवं राज्य स्तर 21.76 करोड़ रूपये कुल बजट का 2.2 प्रतिशत
5. निर्माण कार्यों पर कुल व्यय का 37.49 प्रतिशत
6. राजांश 247.46 करोड़ रूपये (25 प्रतिशत)
7. केन्द्रांश 742.37 करोड़ रूपये

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों से योजना के सन्दर्भ में सुझाव मांगे गये –

निम्न बिन्दुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई –

आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा

4. CWSN (Child with Special Need) के विद्यार्थियों में गुणवत्ता शिक्षा हेतु किया गया प्रावधान केवल 4 विद्यालयों के लिए है। इसे बढ़ाकर प्रत्येक जिले के लिए कम से कम 1 लाख रूपये का प्रावधान किया जाना चाहिये। इस सुझाव के क्रियान्वयन के संबंध में प्रत्येक जिले में एक लाख रूपये का प्रावधान किया गया।
5. Gender Awareness (बालिका शिक्षा प्रोत्साहन) के लिए जिलावार प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि बालिका शिक्षा उन्नयन के लिए संसाधन उपलब्ध कराये जा सकें। इस बिन्दु पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
6. प्रत्येक विद्यालय में सूचना तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया गया। इस पर निर्णय रहा कि यह कार्य आगामी सत्र में प्रारम्भ किया जाना उचित होगा एवं वर्तमान में प्रबन्ध लागत के अन्तर्गत उचित प्रावधान किये जावे।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण के पश्चात् बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा शैक्षिक वातावरण को उन्नयन करने के लिए योजना एवं बजट में निम्न प्रावधान किए जाने के सुझाव दिये गये।

निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा

1. संस्कृत विभाग के प्रवेशिका एवं उपाध्याय विद्यालयों के कुल 180 विद्यालयों में रैकरिंग ग्राण्ट का प्रावधान किये जाने का सुझाव दिया गया। इस सुझाव के सन्दर्भ में चर्चा के पश्चात् 180 विद्यालयों में रैकरिंग ग्राण्ट का प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत 2 के स्थान पर 3 अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाये। इस पर चर्चा के पश्चात् निर्णय लिया कि माध्यमिक विद्यालय के

प्रधानाध्यापकों को पृथ्क से विद्यालय संचालन एवं प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिया जाये जिसका प्रावधान बजट में किया गया है।

3. English Spoken इस पर सुझाव दिया गया कि विद्यार्थियों में अंग्रेजी के प्रति रूचि जाग्रत करने के लिए लिग्वा लैव की स्थापना की जाये। इस बिन्दु पर चर्चा के पश्चात् निर्णय किया गया कि लिग्वा लैव की स्थापना आगामी बजट में की जा सकती है।

<u>माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रतिनिधि</u>

4. शैक्षिक उन्नयन हेतु पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रावधान किया जाये। इस पर चर्चा के पश्चात् निर्णय हुआ कि राज्य में सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जावें। पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रति विद्यार्थी 150 रूपये का प्रावधान किया गया। पाठ्य पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

5. राज्य के सभी जिलों में माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाये। प्रत्येक जिले में कम से कम 10 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाये। इस पर निर्णय रहा कि यह व्यवस्था आगामी बजट एवं योजना में की जायेगी।

<u>आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग</u>

6. विद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में गेम्स किट का प्रावधान किया जाना चाहिये। इस बिन्दु पर चर्चा के पश्चात् निर्णय लिया गया है कि विद्यालयों को दी जाने वाली 50,000 रूपये विद्यालय ग्राण्ट में से 10,000 रूपये का गेम्स के सामान का क्रय किया जाये।

प्रस्तुत योजना का अनुमोदन किया गया एवं निर्देशित किया गया कि उपरोक्त सुझावों को वार्षिक योजना में आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया जाकर योजना भारत सरकार को निर्धारित समय पर भिजवाई जाये।

प्रस्ताव संख्या 2

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सभी प्रकार की धनराशि का उपयोग एवं मंत्रालय से प्राप्त सभी निर्देशों की अनुपालना के लिए राज्य परियोजना निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को प्राधिकृत किया जाना व प्रस्तावित किया गया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) से अभियान के क्रियान्वयन हेतु सभी निर्णय राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत होंगे।

उक्त प्रस्ताव पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव संख्या 3

माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 46 पद एवं जिला स्तर पर 19 पदों की स्वीकृति। (पूरक बिन्दु)

उक्त प्रस्ताव पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

निदेशक

12/8/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. सभी सदस्यगण, निष्पादक समिति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
5. कार्यालय प्रति

निदेशक